

सेवा में,

प्रमुख सचिव,

पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,

उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषय:-

जनपद-अयोध्या में इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0 द्वारा लखनऊ-फैजाबाद मार्ग एन0एच0-28 (न्यू0 एन0एच0-27) के किमी0 नं0 70 के (चैनेज सं0-69.562) के बायीं पटरी पर ग्राम-अशरफपुर गंगरेला, गाटा नं0-1692&1693, तहसील-रुदौली, जिला अयोध्या में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित 0.151236 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 24 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव सं0- FP/UP/ Others/41410/2019

सन्दर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू0पी0/06/93/2019/एफ0सी0/383, दिनांक-25.10.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कृपा करे। उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0, सरयू वृत्त, अयोध्या ने अपने पत्रांक-2851/14-10, दिनांक 06.02.2020 एवं पत्रांक-3608/14-10, दिनांक 24.04.2020 द्वारा इस कार्यालय को दिनांक 08.05.2020 को उपलब्ध कराया गया है। प्रकरण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि संलग्न है।

अतः उक्त पत्रों की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाईन "परिवेश" पोर्टल पर अपलोड कर संलग्नक सहित दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयोंकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय
11/5

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या- / 11-सी- FP/UP/Others/41410/2019, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0, सरयू वृत्त, अयोध्या।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अयोध्या वन प्रभाग, अयोध्या।
3. वरिष्ठ प्रबन्धक (रिटेल सेल्स) गोरखपुर मंडल कार्यालय, इंडियन ऑयल कार्पो0 लि0, गोरखपुर।

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।